संख्या-29/2019/2091/60-2-19-2/1(24)18टीसी-ए

प्रेषक,

गया प्रसाद,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 28 जून, 2019

विषय : किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (स्कीम फार एडोलसेन्ट गर्ल्स-एस0ए0जी0) के अन्तर्गत खाद्यान्न आपूर्ति के अग्रिम भुगतान किये जाने हेतु अग्रिम आहरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-232/बा0वि0परि0/एस0ए0जी0/2019-20, दिनांक 11 जून, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (स्कीम फार एडोलसेन्ट गर्ल्स-एस0ए0जी0) के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-20/2019/1320/ 60-2-19-2/3(7)/12 दिनांक 24.04.2019 द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति रू0 2924.00 लाख (रू0 उनतीस करोड़ चौबीस लाख मात्र) के सापेक्ष तीन माहों के लिए मसूर एवं देशी काला चना की आपूर्ति हेतु अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार नेफेड को कुल रूपये 6,95,04,000/- (रूपये छः करोड़ पच्चानबे लाख चार हजार मात्र) की धनराशि के अग्रिम आहरण करने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त धनराशि का अग्रिम आहरण वित्त (लेखा), अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-17/2017/ए-1-1027/दस-2017-10(55)/2017, दिनांक 15 नवम्बर, 2017 तथा उसके साथ संलग्न शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.1983, शासनादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69 दिनांक 10.06.2011 एवं शासनादेश संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15-1(1)/69 दिनांक 18.09.2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

(2) धनराशि का अग्रिम आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा। अग्रिम आहरण के फलस्वरूप शासन को यदि कोई हानि होती है, तो उसके लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(3) कार्यदायी संस्था को धनराशि निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार का होगा।

(4) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 (यथासंशोधित) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वहीं उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(5) पिछले स्वीकृत किये गये समस्त अग्रिमों एवं अब तक स्वीकृत किये जा रहे अग्रिम का समायोजन दिनांक 31 मार्च, 2020 तक अवश्य करा लिया जाय तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आंकड़ों में भी समायोजन सुनिश्चित कराते हुए वित्त विभाग को प्रत्येक दशा में अवगत कराया जायेगा। समायोजन सुनिश्चित हो जाने के उपरान्त ही अगले अग्रिम आहरण का प्रस्ताव किया जायेगा।

(6) उपरोक्त बैंक खाते में ट्रांसफर की जाने वाली धनराशि के व्यय से सम्बन्धित लेखों के रख-रखाव, बैंक खाते से नियमित रूप से समाधान (रिकन्सीलिएशन)आडिट के सम्बन्ध में विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से विस्तृत दिशा-निर्देश यथाशीघ्र जारी किये जायेंगे तथा इसमें विभिन्न स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण कर दिया जायेगा।

(7) निदेशक, आईसीडीएस इस सम्बन्ध में योजना की गाइडलाइन्स एवं सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्रीय प्रायोजित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

योजनाएं-0131-किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (एस0ए0जी0)(के.50/रा.50-के.+रा.) के मानक मद-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई4-558/दस-2019, दिनांक 26 जून, 2019 के द्वारा दी गयी सहमति के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(गया प्रसाद)
विशेष सचिव।

संख्या-29/2019/2091(1)/60-2-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1
6. वित्त संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग/वित्त (लेखा) अनुभाग-1
7. समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।